

क्रमांक 425001/नि.प्र./सकू./2016  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन,  
छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक / /2016

प्रति,


संचालक,  
जन सम्पर्क संचालनालय  
इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ0ग0)

- विषय :- जल संसाधन विभाग द्वारा निविदाकारों के अर्हता अभिलेखों के विश्लेषण का कार्य निविदा प्रकोष्ठ द्वारा किये जाने के संबंध में।
- संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्र क्र. 4211220/नि./सकू./2015/भाग-4/8658 दिनांक 05.04.2016

===00===

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन किया गया है। अतः संशोधित विज्ञप्ति के अनुसार कृपया विज्ञप्ति का प्रकाशन राज्य स्तरीय एवं केन्द्र स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

सहपत्र :- विज्ञप्ति 20 प्रतियों में।

  
प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ. क्र. 425001/नि.प्र./2016/ 6524  
प्रतिलिपि :-


रायपुर, दिनांक 17/05/2016

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य अभियंता ..... जल संसाधन विभाग, रायपुर/बिलासपुर/अम्बिकापुर (छत्तीसगढ़)।

आपकी संरचना के अंतर्गत समस्त मण्डल एवं संभागीय कार्यालयों को यथासूचित करे साथ ही निर्माण कार्यो का संपादन कर रहे समस्त निविदाकारों तक संलग्न विज्ञप्ति का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।

3. कार्यपालन अभियंता, सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, स्टेट डाटा सेन्टर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। इस पत्र के साथ संलग्न विज्ञप्ति में किये गये संशोधन के अनुसार विभाग की वेबसाईट में जारी विज्ञप्ति में सुधार करें।

सहपत्र :- एक।

  
प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर

क्रमांक 425001/नि.प्र./2016/  
कार्यालय प्रमुख अभियंता  
जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन,  
छत्तीसगढ़, रायपुर


रायपुर, दिनांक / /2016

// विज्ञप्ति //

जल संसाधन विभाग द्वारा आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने वाले निविदाकारों द्वारा निविदा के लिये अर्हता संबंधी वांछित अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, जिसे प्रत्येक निविदा हेतु हर बार प्रस्तुत करना पड़ता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन कर यह अभिलेख प्रमुख अभियंता कार्यालय के निविदा प्रकोष्ठ में संधारित किये जायेंगे। तत्संबंध में निविदाकारों से अनुरोध है कि वे अपने भौतिक मात्रा निष्पादन जिसमें उनके द्वारा किये गये कार्य के विभिन्न आयटमों का कार्यपालन अभियंताओं के कार्यालयों द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्र, वित्तीय टर्नओव्हर जिसमें विगत पांच वर्षों (वर्ष 2010-11 से 2014-15) में किये गये सिविल कार्यों के आयकर विवरणी (सरल), ऑडिट रिपोर्ट, आय की गणना पत्रक, प्रॉफिट एवं लॉस एकाऊंट, बैलेंस शीट तथा टी.डी.एस. प्रमाण पत्र जो चार्टर्ड एकाऊन्टेंट के द्वारा प्रमाणित हो, का ब्यौरा प्रमुख अभियंता कार्यालय नई बिल्डिंग प्रथम तल के निविदा प्रकोष्ठ में शीघ्र प्रस्तुत करें। निविदाकारों की इन दस्तावेजों की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में भरकर सत्यता संबंधी शपथ पत्र सहित निविदाकारों द्वारा अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जाना है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र तथा शपथ पत्र प्रारूप विभाग की वेबसाईट <http://cgwrд.in/press-releases.html> या <http://cgwrд.gov.in> के announcement लिंक से डाऊनलोड किया जा सकता है। निविदाकारों द्वारा उपरोक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो माह में उनसे संबंधित अधिकतम भौतिक मात्रा निष्पादन एवं वित्तीय टर्नओव्हर का प्रमाण पत्र जल संसाधन विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।

इस प्रकार विभाग द्वारा आमंत्रित निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन बिड में वांछित भौतिक मात्रा निष्पादन तथा वित्तीय टर्नओव्हर के जारी किये गये प्रमाण पत्र को आंकलन/परीक्षण हेतु निविदाकारों को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

दिनांक 01.08.2016 से निविदाओं की प्री-क्वालिफिकेशन बिड बिना प्रमाण पत्र के स्वीकार नहीं किया जावेगा।

  
प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग  
छत्तीसगढ़ रायपुर